

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1978 / 2011 / भीलवाड़ा.

मैसर्स ओंकार लाल माली, भीलवाड़ा.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 191 / 2012 / भीलवाड़ा.

मैसर्स कुमार जयदीप सांखला, भीलवाड़ा.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 198 / 2012 / भीलवाड़ा.

मैसर्स असगर खान, भीलवाड़ा.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधिअपीलार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10 / 08 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. इन तीनों प्रकरणों में विवाद्य बिन्दु समान होने से तीनों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।




लगातार.....2

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धा. वर्ष	अपीलीय आदेश क्रमांक	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक	सृजित कुल मांग
1978/11	2007-08	168/वैट/10-11	02.08.2011	16.03.2010	2,77,284
191/12	2008-09	238/वैट/10-11	02.01.2012	01.11.2010	1,49,664
198/12	2008-09	252/वैट/10-11	20.12.2011	03.08.2010	93,303

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान किये गये संविदा कार्यों के लिये वाणिज्यिक कर विभाग से ई.सी. (मुक्ति प्रमाण-पत्र) प्राप्त किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कुल सकल प्राप्तियों पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. शुल्क का आरोपण किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया तथा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 2000/- का आरोपण किया गया। साथ ही संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल यथा आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्च जोड़ते हुए 4/12.5 प्रतिशत की दर से वैट का आरोपण किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उनकी सकल प्राप्तियों में से मजदूरी राशि कम करते हुए ई.सी. शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिये, साथ ही ठेकेदार से क्रय की गई बजरी/स्टोन पर वैट-39 के जरिये चुकाये गये वैट का समायोजन दिया जावे। यह भी निवेदन किया गया कि नोटिस के अभाव में वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं आयरन, स्टील व सीमेंट पर किये गये अतिरिक्त करारोपण को अपास्त किया जावे। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 58 व आयरन, स्टील व सीमेंट पर किये गये अतिरिक्त करारोपण के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये तथा मजदूरी राशि को कम किये जाने के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की गईं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेशों में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजदूरी राशि पर किसी प्रकार का वैट आरोपित नहीं किया जा सकता है। सिविल कार्य होने से वैट अधिनियम में 30 प्रतिशत मजदूरी राशि कम की जाकर ई.सी. फीस का आरोपण किया जाना था। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने




—: 3 :- (1-3) अपील संख्या-1978/2011, 191/2012 व 198/2012/भीलवाड़ा.

अपने तर्क के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1999) 114 एस.टी.सी. 265 (कर्नाटक) मैसर्स गाउंडर एण्ड कं० बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 338/99 व 339/99 कर निर्धारण वर्ष 93-94 एवं 94-95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बारां बनाम केसरीमल रतनलाल छाबड़ा निर्णय दिनांक 25.11.2002 प्रस्तुत किये। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कुल संविदा कार्यों में से मजदूरी राशि कम की जाकर शेष राशि पर ई.सी. शुल्क की देयता निर्धारित किये जाने तथा संविदा कार्यों के निष्पादन में वैट चुकाकर क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट के समायोजन के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को भी विधिविरुद्ध बताते हुए अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन किया। कथन किया कि करमुक्ति का विकल्प लिया जाना एक स्वैच्छिक कृत्य है तथा करमुक्ति का विकल्प लिये जाने के बाद इस हेतु प्राप्तियों पर विहित मुक्ति शुल्क कर दर से मुक्ति शुल्क देयता बनती है। कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार ई.सी. समर्थित कार्यों के पेटे क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।


8. संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारीगण ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है। व्यवहारीगण द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।



9. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 व 6 निम्न प्रकार है :-

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, **hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods** (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) **subject to the following conditions**, namely:-

- (5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-
- (i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;
 - (ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;
 - (iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;
- (6) **that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted;**



Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %


10. उक्त अधिसूचना में तालिका के कॉलम संख्या 3 से भली-भांति स्पष्ट है कि इस हेतु कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.-1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है :-

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and his status

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1999) 114 एस.टी.सी. 265 (कर्नाटक) मैसर्स गाउंडर एण्ड कं0 बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये "पण्यावर्त" के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एस.टी.सी. 370 को Reproduce किया गया है। इसमें "पण्यावर्त" पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। अपीलार्थी का प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि तथा संविदा कार्यों में प्रयुक्त माल पर चुकाये गये वैट के समायोजन का है। अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं करता है।




12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स में व्यवस्था दी है कि -

"Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made within the State of Rajasthan. **The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer.**"

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2012) 17 वेट रिपोर्टर 153 (राज.) दी इन्ड्योर प्रा0 लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में निम्न निर्णय पारित किया गया है -

23. The basic issue involved in the present cases is as to whether the exemption Notification dated 11/8/2006 which provides for exemption of payment of tax on works contract subject to assessee obtaining the exemption certificate upon payment of exemption fees of fixed percentage of the total value of the contract at 1.50% in case works contract falls under entry no.2, or at 2.25% if the works contract falls under entry no.3 of the list appended in the Notification dated 11/8/2006 reproduced above. While the exemption fees in lieu of tax on works contract is admittedly based on the total value of the contract, which total value may comprise of the taxable portion (supply of goods) of works contract as well as non-taxable (labour & service) of such works contract, still the exemption fee is levied on the gross total value of the contract, therefore, the question of imposition of tax on taxable portion of works contract does not arise in the present case of question of relating to exemption fees on gross value of the contract and, therefore, the judgments relied upon by the learned counsel for the petitioner seeking to contend that Assessing Authority is not entitled to levy higher amount of exemption fee on the basis of law propounded in these judgments is an argument, with respects, is an argument off the mark and, therefore, the same is liable to be rejected.

14. आई.टी.सी. क्लेम के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में व्यवस्था दी है कि -



"The exemption under a licence granted to a dealer in cotton under section 5 of the Madras General Sales Tax Act, 1939, is conditional upon the observance of the conditions prescribed and upon the restrictions which are imposed by and under the Act or in the rules or in the licence itself. A licensee is therefore exempt from assessment as long as he conforms to the conditions of the licence and he is not entitled to exemption if the conditions upon which the licence is given are not fulfilled. **The use of the words "subject to" has reference to effectuating the intention of the law and the correct meaning is "conditional upon".**

15. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारीगण ने मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय की undertaking दी गयी है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेंगे। अतः व्यवहारीगण इन्पुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं हैं। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरुद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (1961) 12 एस.टी.सी.114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (2010) 29 वी.एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स व (2012) 17 वेट रिपोर्टर 153 दी इन्ड्योर प्रा० लि० बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों में संविदा प्राप्तियां मुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित हैं। अपीलार्थी व्यवहारीगण इन प्राप्तियों पर विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी हैं। मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन संविदा प्राप्तियों में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। यद्यपि आई. टी.सी. के बिन्दु के अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं, जबकि आई.टी.सी. देय ही नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में राजस्व द्वारा प्रत्याक्षेप प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश पुष्टि योग्य है।




17. अपीलार्थी व्यवहारीगण के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 338/99 व 339/99 कर निर्धारण वर्ष 93-94 एवं 94-95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बारां बनाम केसरीमल रतनलाल छाबड़ा निर्णय दिनांक 25.11.2002, के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त निर्णय अपीलार्थीगण को कोई मदद नहीं पहुंचाता है।

18. अपीलार्थीगण द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों में क्रय किये गये आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्च जोड़ते हुए अन्तर राशि पर किये गये अतिरिक्त करारोपण के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

19. वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें, अतः इस सम्बन्ध में भी अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

20. उपरोक्त विवेचन के मददेनजर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

21. निर्णय सुनाया गया।


10.08.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य